


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मंगलचन्द बनाम महादेव जीसीएमएस नम्बर 2022/52</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>07.03.22</p>	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पत्र हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 (अपील संख्या 78/2015) के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध पूर्व में ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 234/2016 उनवान राधेश्याम बनाम महादेव को न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 11.07.2018 से निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 पर पुनः सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	